FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

कृष्णलाल बनाम गिरधारीलाल वगै0

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 175/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
02-02-2023	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी सं0 1 को रजि0 नोटिस RR218603483IN दिनांक 22.12.2022 भिजवाने के बावजूद हाजिर नहीं। आज सरे इजलास बार बार रूक रूककर आवाजे लगाई गई जिसपर अप्रार्थी सं0 वकालतन या असालतन हाजिर नहीं। अतः अप्रार्थी सं0 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। जिसमें न्यायालय को पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादगत भूमि के संबंध में मूलवादपत्र में अंतिम निस्तारण तक स्थगन जारी करना न्यायोचित है ताकि मुकदमेबाजी को बढ़ावा ना मिले व पक्षकारों को कानूनी पेचिदगियो का सामना ना करना पड़े इसलिए धारा 212 आरटीएक्ट के प्रावधानों एवं धारा 151 की में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे मूलवाद के निस्तारण तक इस पत्रावली में चक 14 केजेडी ए के मु0नं0 124/45 के किला नं0 11, 13/2, 17, 20, 23, 24 की 1. 3910 हैक्टर व मु0नं0 124/53 के किला नं0 16, 17 की 0.3287 है0 इसप्रकार दोनों मुरब्बों में कुल 1.7197 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि दिनांक 29.11.22 को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा (स्थगन) आदेश को मूलवाद के फैसले तक स्थाई किया जाता है। अतः उभयपक्ष मूल वाद के निस्तारण तक रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखें। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।	